(7)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 528/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 29 जून, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव ,अब ,राज्यपाल ,उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 54 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के क्रम में यह अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय को उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 की उपमद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या 528/2017/9(120)/XXVII(8)/2017तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5– एन0आई0सी0

6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.528/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 528/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 29 June, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 54 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, in the continuation of the recommendations of the Council is pleased to allow to notify that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed under sub-section (3) of section 54 of the said Uttarakhand Goods and Services Tax Act, in case of supply of services specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 1^{st} day of July, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary